

IT-45

NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF INDIA OF 27
AUGUST 1981



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 396]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 1981/भाद्र 5, 1903

No. 396]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 1981/BHADRA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1981

का० आ० 671(अ) :—केन्द्रीय सरकार, राज्य-क्षेत्रीय सागर खण्ड महाद्वीपीय मत्ततट भूमि, अनन्य आधिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 7 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में त्रिनिदिविष्ट अधिनियमों का उपान्तरों के (यदि कोई हों) और उक्त अनुसूची में त्रिनिदिविष्ट ऐसे अधिनियमों के प्रवर्तन को सुकर बनाने वाले उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसमें त्रिनिदिविष्ट अनन्य आधिक क्षेत्र पर विस्तार करती है।

अनुसूची

भाग I—अधिनियमों की सूची

वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	उपान्तरण
	2	3	4
1860	45	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	
1974	22	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 188 के पश्चात् निम्न-

1

2

3

4

लिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“188क. अनन्य आधिक क्षेत्र में किए गए अपराध :—
जब राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड महाद्वीपीय मत्ततट भूमि, अनन्य आधिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 की उपधारा (1) में वर्णित या उसकी उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा- यथा-परिवर्तित अनन्य आधिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है तब ऐसे व्यक्ति को बाबत इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानों वह अपराध किसी ऐसे स्थान में, जिसमें वह पाया गया है या ऐसे स्थान में किया गया था जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निदेश करे।”

भाग II—अधिनियमों के प्रवर्तन को सुकर बनाने के लिए उपबंध

1. उपरिउल्लिखित अन्य अधिक क्षेत्र के सम्बन्ध में भाग I में उल्लिखित किसी अधिनियम का लागू करना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी उसका अर्पण करने ऐसी रीति में कर सकेगा जो उसके तार पर प्रभाव डाले बिना उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी मामले के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक या उचित हो।

2. (1) यदि उपरिउल्लिखित अन्य अधिक क्षेत्र के सम्बन्ध में, भाग I में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होते हैं।

(2) विधिप्रवर्तन और इस पैरा के उप पैरा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपपैरा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसे अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी कृत्यकारी के प्रति निषेधों के अर्पण के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

[सं० 2/2/81—न्यायिक सेल]

श्री वल्लभ शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1981

S.O. 671 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby extends to the exclusive economic zone, referred to therein, the Acts specified in the Schedule hereto annexed subject to the modifications (if any) and the provisions for facilitating the enforcement of such Acts specified in the said schedule.

SCHEDULE

Part I—List of Acts

Year	No.	Short title	Modifications
1	2	3	4
1860	45	The Indian Penal Code, 1860.	
1974	2	The Code of Criminal Procedure, 1973	After section 188 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the following.

section shall be inserted, namely :—

“188A. Offence committed in exclusive economic Zone :

When an offence is committed by any person in the exclusive economic zone described in sub-section (1) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976) or as altered by notification, if any, issued under sub-section (2) thereof, such person may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed in any place in which he may be found or in such other place as the Central Government may direct under section 13 of the said Act.”

Part II—Provisions for facilitating the enforcement of the Acts

1. For the purpose of facilitating the application in relation to the aforementioned exclusive economic zone, of any Act mentioned in Part I, any court or other authority, may construe it in such manner, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adapt it to the matter before the court or other authority.

2. (1) If any difficulty arises in giving effect, in relation to the aforementioned exclusive economic zone, to the provisions of any Act specified in Part I, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions as appear to it to be necessary for the removal of the difficulty.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) of this paragraph, any order made under sub-paragraph (1) may make provisions with regard to construction of references to any functionary specified in such Act.

[No. 2/2/81—Judl. Cell]

S.V. SHARAN, Jt. Secy.